न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./6050/2003/अलवर

1– टुण्डाराम पुत्र झज्जी पौत्र कन्हैया
जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर
2– चन्द्रकला पुत्री खुशीराम पत्नी नन्दराम जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी सामोली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।
3– रमना पुत्री खुशीराम पत्नी अखेराम जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी सामोली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।
4– मून्दी पुत्री खुशीराम पत्नी ठाकुरलाल जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी सीताराम का नगला तहसील कठूमर जिला अलवर।
5– विमला पुत्री खुशीराम पत्नी भूदेव जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी सितारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
6– बती पुत्री खुशीराम पत्नी रामेश्वर जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी सितारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
7– ओमप्रकाश पुत्र खुशीराम)
8– पुरूषोतम पुत्र गंगासहाय पौत्र कन्हैया)
जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– जगमोहन पुत्र मानसिंह
2– नन्दराम पुत्र मानसिंह
जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर।
3– प्रभू पुत्र छज्जी पौत्र कन्हैया
4– कारे पुत्र गंगासहाय पौत्र कन्हैया
5– रामहरी पुत्र गंगासहाय पौत्र कन्हैया
6– श्योमलाल पुत्र मदन
7– लक्ष्मीनारायण पुत्र मदन
8– प्रभाती पुत्र मदन
9– यादराम पुत्र चिरमल

10– सोहनलाल पुत्र चिरमल
11– अजीराम पुत्र चिरमल
12– बाबूराम पुत्र चिरमल
समस्त जाति हैवासी ब्राह्मण निवासीगण भोजपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री सूरजभान जैमन, सदस्य

उपस्थित :
श्री योगेन्द्र सिंह व श्रीमती पूनम माथुर अधिवक्तागण अपीलार्थीगण
श्री अशोक अग्रवाल अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः– 20 सितम्बर, 2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 98/2000 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–11–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/ वादीगण ने अपीलार्थीगण एवं शेष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, राजगढ़ मुकाम कठूमर के समक्ष एक राजस्व वाद इस्तकरारहक व हुक्मइम्तनाई दवामी का ग्राम भोजपुरा तहसील कठूमर स्थिति हाल आराजी खसरा नंबर 118, 179, 180, 182, 186, 188, 189, 190, 198, 199, 200, 202, 203, 259, 404 एवं 553 कुल किता 16 कुल रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा भूमि जिसके साबिक खसरा नंबर 141, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 151/1, 154, 155, 210, 313 एवं 435 थे

बाबत् इस आशय का पेश किया कि आराजी मुतनाजा में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण व असल प्रतिवादी संख्या 1 से 6 (प्रभू, टुण्डाराम, खुशीराम, पुरूषोतम, कारे तथा रामहेरी) का 2/3 भाग है तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 13 (श्यामलाल, लक्ष्मीनारायण, प्रभाती, यादरा, सोहनलाल, अजीराम व बाबूराम) का आराजी मुतनाजा में 1/3 भाग होने के दावा परीक्षण न्यायालय में तरतीबी प्रतिवादी बनाया गया है वादीगण व असल प्रतिवादी संख्या 9 से 16 एक ही दादा की सन्तान है। सजरा वाद पत्र के पैरा दो में अंकित किया गया। आराजी मुतनाजा वादीगण के दादा कन्हैया के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि बतायी गयी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का पिता झज्जी परिवार के सबसे बड़ा होने के कारण संयुक्त परिवार के कर्त्ताधर्ता थे तथा वादीगण के पिता छोटे थे। इस कारण दौरान बन्दोबस्त कर्मचारियों से मिलकर वादीगण का नाम दर्ज नहीं कराकर प्रतिवादीगण ने अपना नाम दर्ज करा लिया। जबकि बन्दोबस्त विभाग की उक्त आराजी के 2/3 भाग में वादीगण को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करना चाहिए था। यह भूमि पैतृक भूमि है। इस गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने के लिए दिनांक 01–9–1990 को वादीगण ने असल प्रतिवादीगण से कहा परन्तु इन्कार हो गया तथा दिनांक 01–9–1990 को वादीगण को धमकी दी। इस कारण दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। दावे में अनुतोष चाहा गया है वाद पत्र के पैरा 10 के उप पैरा क, ख व ग के अनुसार वादीगण का दावा डिक्री किया जावे। परीक्षण न्यायालय में दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3,6,8,10 ने दिनांक 06–10–1990 को इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर डिक्री पारित करने पर अनापत्ति होना अंकित किया गया। दिनांक 28–7–93 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के बीच राजीनामा हुआ जो न्यायालय से तस्दीकशुद्धा है। प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5,9,11 लगायत 13 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। सहायक कलक्टर, कठूमर द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18–4–94 द्वारा इकबाल जवाबदावे के आधार पर दावा डिक्री किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष अपीलार्थीगण ने अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक

25–11–2003 द्वारा अपील समयावधि में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण खारिज कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3– हमनें विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का कथन है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र में कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं दर्शाया था और न ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कौन से राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज में उनका या उनके पिता का नाम दर्ज नहीं किया गया। इस कारण वाद पत्र में काज ऑफ एक्शन के अभाव में प्रत्यर्थी–वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत् खारिज किये जाने योग्य है। परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को विधिवत नोटिस नहीं दिये गये न ही उनके द्वारा नोटिस चस्पांदगी के आदेश दिये गये। तामील कुनिन्दा के अपने आप ही चस्पादंगी कर दी। अतः आदेश 5 नियम 16, 17 व 18 सी.पी.सी. के प्रावधान की पालना नहीं होने के बावजूद भी अपीलार्थीगण की तामील मानकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलार्थीगण के नोटिस की तामील की वैधता को देखे बिना एवं वाद वादीगण की डिक्री की जानकारी होना मानकर अपील निर्णित करने में कानूनी त्रुटि की है। आगे उनका यह भी कथन है कि परीक्षण न्यायलय का निर्णय व डिक्री पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया नहीं है, अतः उनके द्वारा पारित निर्णय आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के अनुसार नहीं कहा जा सकता। प्रथम अपीलीय न्यायलय को परीक्षण न्यायलय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर वाद पुनः निर्णय करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिए था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में दिये गये कथ्नों पर विचार किये बिना अपील को मियाद बाहर मानने में विधिक भूल की है। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय परवर्श है एवं अधूरा है। आगे उनका यह भी कथन है कि वादीगण–प्रत्यर्थीगण कभी भी विवादित भूमि पर काबिज काश्त नहीं रहे। कब्जे के अभाव में उनको न तो

खातेदार घोषित किया जा सकता था, न ही संयुक्त खातेदार घोषित किये जाने के साथ ही वादीगण को विवादित भूमि पर काबिज होना माना जा सकता है। उनका यह भी कथन है कि परीक्षण न्यायालय ने के इकबाली जवाब दावा एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 5 के राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री कर कानूनी भूल की है। इस आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता। राजीनामा आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. के अनुसार नहीं था और न इकबाली जवाबदावा से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी मानी जा सकती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज किये जावें।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील में उठाये उज्रात असत्य व बेबुनियाद हैं क्योंकि दावे की मद नंबर 5 में विनायदावा वर्णित है तथा अपीलार्थी/ प्रतिवादीगण पर प्रोपर तामील परीक्षण न्यायालय द्वारा करायी गयी थी और उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कानून सम्मत है। विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 5 ने तो अदालत में राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3, 6, 8, 10 ने इकबाली जवाबदावा दिया था, अन्य प्रतिवादीगण पर तामील प्रोपर हुई थी परन्तु अनुपस्थित रहने पर दिनांक 06–12–1990 को एकतरफा कार्यवाही की गयी थी। इस प्रकार उनके द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18–4–1994 के विरूद्ध मियाद बाहर अपील पेश की गयी थी, जो कि अपीलीय न्यायालय ने मियाद बाहर मानकर सही तौर पर खारिज की है एवं गुणावगुण पर भी अपील की विवेचना की गयी है। अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25–11–2005 व परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18–4–1994 में कोई भी कानूनी व तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

6– हमनें विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि प्रतिवादी संख्या–2 टुण्डाराम (अपीलार्थी संख्या–1) पर सम्मन लेने से इन्कारी का उल्लेख कर गवाह सीताराम व जगमोहन के तामील कुनिन्दा द्वारा हस्ताक्षर लिए गये है। प्रतिवादी संख्या–4 पुरूषोत्तम (अपीलार्थी संख्या–8) का सम्मन खुले मकान पर चस्पा करने का उल्लेख कर गवाह सीताराम व जगमोहन के दस्तखत लिए है। प्रतिवादी संख्या–3 खुशीराम (अपीलार्थी संख्या–7 के पिता) पर सम्मन की तामील खुशीराम की अंगूठा निशानी से की है एवं गवाह सीताराम व जगमोहन के हस्ताक्षर लिए है। ये सम्मन दिनांक 28–11–1990 की तारीख पेशी के लिए जारी किये गये है। तामील कुनिन्दा उक्त तामीली रिपोर्ट दिनांक 14–11–1990 की है। परीक्षण न्यायालय की दिनांक 28–11–1990 की आदेशिका निम्न प्रकार हैः–

> **''पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर हैं। वकील वादी ने जाहिर किया कि फरीकेन में राजीनामा की बात चल रही है। समय दिया जावे। मिसल दिनांक 06–12–90 को पेश हो।''**

इसी प्रकार परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06–12–1889 निम्न प्रकार है किः–

> **''पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण हाजिर। प्रति0 संख्या 3, 6, 8 व 10 की तरफ से इकाबल दावा पेश हुआ। शेष प्रतिवादीगण बावजूद इत्तला के हाजिर नहीं है। उनकी तरफ से कार्यवाही इकतरफा की जाती है। वास्ते सबूत वादी दिनांक 10–01–1991 को पेश हो।''**

7– परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि इन तीनों व्यक्तियों पर तामील गवाह जगमोहन स्वयं, वादी नंबर–1 है एवं गवाह सीताराम की वल्दियत जाति सकूनत का कोई उल्लेख नहीं है और इस तामील को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 16, 17 व 18 के अन्तर्गत प्रोपर तामील नहीं माना जा सकता फिर भी आदेशिका दिनांक 06–12–1990 के द्वारा इन तीनों के विरूद्ध एकतरफा

कार्यवाही की गई। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 16, 17 व 18 के प्रावधानों की पालना तामीली प्रक्रिया में नहीं होने से स्पष्ट है कि इन व्यक्तियों को दावे की कार्यवाहियों का संज्ञान नहीं था और इनके द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में निर्णय दिनांक 18–4–1994 के विरूद्ध दायर अपील में निर्णय की जानकारी दिनांक 30–10–2000 को होना अंकित किया है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रत्यर्थी व वादी जगमोहन ने प्रार्थना पत्र का जवाब मय शपथ पत्र देकर टुण्टाराम व पुरूषोत्तम पर प्रोपर तामील होने का उल्लेख किया है, जो निराधार है क्योंकि उस समय प्रत्यर्थी जगमोहन के द्वारा उक्त अविधिक तामील पर स्वयं की गवाही के हस्ताक्षर किए हैं। इसी प्रकार उसने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि खुशीराम की तामील करायी है एवं खुशीराम न्यायालय में दिनांक 06–12–1990 को उपस्थित हुआ है, जबकि पत्रावली की आदेशिका के अनुसार खुशीराम दिनांक 28–11–1990 को उपस्थित नहीं था। इस तरह प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के जगमोहन द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्य असत्य होने से विश्वसनीय नहीं है तथा टुण्डाराम व पुरूषोत्तम को अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 30–10–2000 से पूर्व किस तरीके से थी, इस बाबत् कोई सबूत भी प्रत्यर्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा टुण्डाराम व पुरूषोत्तम द्वारा पेश की गयी अपील को मियाद बाहर माना है। जिसका कि उनके समक्ष कोई ठोस व विश्वसनीय आधार नहीं था। इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को मियाद बाहर मानकर निर्णय दिनांक 25–11–2003 पारित करने में कानूनी त्रुटि की है तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा अविधिक तामील को प्रोपर तामील मानने में कानूनी त्रुटि करते हुए निर्णय दिनांक 18–4–1994 पारित करने में कानूनी भूल की है और चूंकि इन व्यक्तियों को दावे के तथ्यों का प्रतिवाद करने का अवसर ही नहीं मिला और उनकी पीठ पर उनके खातेदारी अधिकारों (स्वत्व) के विपरीत पारित निर्णय को गुणावगुण पर पारित हुआ होना निर्णय नहीं कहा जा सकता। अतः अपील में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त बाबत् उठाये गये उज्रात सारपूर्ण होने से परीक्षण

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील के लिए मियाद का बिन्दु उदार दृष्टिकोण से निस्तारित करने सम्बन्धी सुस्थापित सिद्धान्त (न्यायिक दृष्टांतो) की रोशनी में अपील अपीलार्थी स्वीकार करने योग्य होने से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री क्रमशः दिनांक 18–4–1994 एवं 25–11–2003 अपास्त किये जाने योग्य हैं।

8– परिणामतः यह अपील स्वीकार की की जाती है एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–11–2003 तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, कठूमर, द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–4–1994 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण सहायक कलक्टर, कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सबूत व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर अजसरेनो निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूरजभान जैमन)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष